न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री टीए संख्या 4464/2006/जालौर

1- भावाराम
2- मेहदाराम
3- हीराराम
} पिसरान रूपाजी चौधरी जाति जाट निवासी सांचोर तहसील सांचोर जिला जालौर

-अपीलार्थीगण

-बनाम-

1- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सांचोर जिला जालौर।
2- महात्मा ज्योतिबा फूले शिक्षण संस्थान माली समाज छात्रावास सांचोर तहसील सांचोर जिला जालौर।

-प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ

श्री अजीत सिंह राजावत, सदस्य
श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य

उपस्थितः-

1. श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक
3. श्री बकुल कुमार, अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या - 2

-निर्णय-

दिनांकः- 15-12-2025

1- अपीलार्थीगण ने हस्तगत् द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकरी, पाली के निर्णय व डिक्री दिनांक 31-05-2006 जिसके माध्यम से अपीलार्थीगण की प्रथम अपील को खारिज किया गया है, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि वाके रोही सांचौर के साबिका खेत खसरा नम्बर 291 मिन जिसके नये खसरा नम्बर 828 रकबा 0.22 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 830 रकबा 0.37 हेक्टर पैमूद हुए है, जिस पर अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त पूर्वजों के समय से निरन्तर चला आ रहा है। खेत खसरा नम्बर 291 मिन की भूमि पूर्व में अपीलार्थीगण/वादीगण की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 365 रकबा 45 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से 10 बीघा भूमि गुजरात से बाड़मेर राष्ट्रीय राजमार्ग में

अवाप्त होने के आधार बतौर मुआवजा उक्त भूमि प्रदान की गई थी तथा साथ ही अन्य काश्तकार जिनकी भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग में अवाप्त की गई थी, उन्हें भी अपीलार्थीगण/वादीगण के साथ ही अन्य भूमियाँ प्रदान की गई थी। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि अपीलार्थीगण/वादीगण की बतौर कब्जे काश्त खातेदारी भूमि रही है। अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि अपने अधिकारों की सुरक्षा एवं सरंक्षणा हेतु अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत करते हुए आराजी जैर के खातेदारी अधिकारों की मांग किये जाने पर उक्त वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने के फलस्वरूप अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अपीलार्थीगण की प्रथम अपील को विधि विरूद्व तरीके से खारिज किये जाने से व्यथित होकर उक्त द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3- अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई व अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड तलब किये जाने के उपरान्त विद्वान अभिभाषक उभय पक्षों की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

4- विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वाके रोही सांचौर के साबिका खसरा नम्बर 291 मिन जिसके नये खसरा नम्बर 828 रकबा 0.22 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 830 रकबा 0.37 हेक्टर पैमूद हुए है, जिस पर अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त पूर्वजों के समय से निरन्तर चला आ रहा है। प्रकरण में खेत खसरा नम्बर 291 मिन की भूमि पूर्व में अपीलार्थीगण/वादीगण की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 365 रकबा 45 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से 10 बीघा भूमि गुजरात से बाड़मेर राष्ट्रीय राजमार्ग में अवाप्त होने के आधार बतौर मुआवजा उक्त भूमि प्रदान की गई थी। उक्त भूमि पर पूर्व में अपीलार्थीगण के पिता रूपाली वल्द जोगाजी काश्त करते रहे है तथा कालान्तर में उनके स्वर्गवास के उपरान्त वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थीगण का निरन्तर व निर्बाध रूप से चल आ रहा है तथा मौके पर अपीलार्थीगण परिवार सहित ढाणी बनाकर निवास करते आ रहे है तथा आराजी जैर मौके पर काबिल काश्त भूमि चली आ रही है। ऐसीस्थिति में वादग्रस्त भूमि का स्वरूप कभी भी नाड़ी अथवा गोचर नहीं रहा है। प्रकरण में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि अपीलार्थीगण के पिता स्व. रूपाजी द्वारा उनके धारण की भूमि खेत खसरा नम्बर 365 में 10 बीघा भूमि जोकि राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु अधिग्रहित की गई थी, की एवज में कभी भी मुआवजा प्राप्त नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में आराजी जैर पर अपने अधिकारों की सुरक्षार्थ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के तहत वादपत्र प्रस्तुत करते हुए आराजी जैर की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की मांग की गई थी। जिस पर अधीनस्थ

विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के वादपत्र को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि आराजी जैर गैर मुमकिन गोचर हेतु आरक्षित भूमि है। जबकि इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उक्त भूमि में से ही कुछ भूमि महात्मा ज्योतिबा फूले शिक्षण संस्थान माली समाज छात्रावास सांचोर को आवंटित की गई है, ऐसी स्थिति में जब वादग्रस्त भूमि का स्वरूप गोचर रहा है तो उक्त भूमि किसी भी अन्य कार्य हेतु आवंटित नहीं की जा सकती थी। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखे बिना ही अपीलार्थीगण के वादपत्र को खारिज किया गया है। प्रकरण में अपीलार्थीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य यथा राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत किया गया था जिससे यह जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि अपीलार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि है तथा इसी क्रम में पूर्व में धारित भूमि की एवज में प्राप्त वर्तमान भूमि के संबंध में तहसीलदार, सांचोर के प्रस्ताव जिससे यह साबित है कि उक्त आराजीयात् बतौर मुआवाजा प्रदान की गई थी, प्रस्तुत किये जाने के बावजूद भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा उक्त स्थिति की गलत व्याख्या करते हुए अपीलार्थीगण के वादपत्र को खारिज किया गया है। जिसकी विधि अनुमति प्रदान नहीं करती है। प्रकरण में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी उपरोक्त विधिक स्थिति के बावजूद भी अपीलार्थीगण की अपील को खारिज करने में विधि एवं तथ्य संबंधी त्रुटि कारित की गई है। प्रकरण में चूंकि यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि अपीलार्थीगण के पूर्वजों को पूर्व में धारित की एवज में बतौर मुआवजा प्रदान की गई थी तथा तभी से उक्त भूमि पर अपीलार्थीगण एवं उनके पूर्वजों का कब्जा काश्त रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अपीलार्थीगण मुश्तहक है। लिहाजा अपीलार्थीगण की हस्तगत् द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाकर अपीलार्थीगण को आराजी जैर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

6- विद्वान अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि का स्वरूप तमाम राजस्व रिकार्ड में बतौर गोचर रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदत्त किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रतिबाधित है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा नियमानुसार वादपत्र में जवाबदावा प्राप्त करने के उपरान्त तनकीयात् कायम करते हुए यह पाये जाने पर कि वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में बतौर नाकाबिल काश्त गोचर दर्ज है, अपीलार्थीगण के वादपत्र को विधि सम्मत् तरीके से खारिज किया गया है व जिसकी पुष्टि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा की गई है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती है। ऐसी स्थिति में आक्षेतिप निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं होने से अपीलार्थीगण की हस्तगत् द्वितीय अपील अस्वीकार कर खारिज फरमाई जावे।

7– विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

8– हस्तगत् प्रकरण में अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि वाके रोही सांचौर के साबिका खसरा नम्बर 291 मिन जिसके नये खसरा नम्बर 828 रकबा 0.22 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 830 रकबा 0.37 हेक्टर भूमि के संबंध में दावा घोषणात्मक एवं चिर स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/वादीगण के वाद को खारिज किये जाने व उक्त खारिजी आदेश की प्रथम अपील अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय व डिक्री के माध्यम से खारिज किये जाने के फलस्वरूप अपीलार्थीगण द्वारा हस्तगत् द्वितीय अपील मण्डल हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में अपीलार्थीगण का मुख्य कथन है कि आराजी जैर अपीलार्थीगण को पूर्व में धारित भूमि खेत खसरा नम्बर 365 रकबा 45 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से 10 बीघा भूमि गुजरात से बाड़मेर राष्ट्रीय राजमार्ग में अवाप्त होने के आधार बतौर मुआवजा उक्त भूमि प्रदान की गई थी। जिस पर अपीलार्थीगण का पूर्वजों के समय से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में तहसीलदार, सांचोर के द्वारा मुआवजा प्रस्ताव की कार्यवाही विवरण की प्रति पेश एवं आराजी जैर के राजस्व रिकार्ड की प्रति पेश की गई। प्रकरण में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मुआवजा प्रस्ताव के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थीगण के पिता द्वारा अपने धारण की भूमि की एवज में अन्य भूमि प्रदान किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर तहसीलदार, सांचौर द्वारा तैयार प्रस्ताव के क्रम संख्या 4 पर अपीलार्थीगण के पिता रूपा वल्द जोगा का नाम अंकित है तथा खेत खसरा नम्बर 365 रकबा 10 बीघा के स्थान पर एवज में सरकारी भूमि लेना चाहता के कॉलम में खसरा नम्बर 291 की 10 बीघा गोचर गै.मु. या खसरा नम्बर 306 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा अंकित किया गया है। उक्त अंकन मात्र से यह तथ्य जाहिर है कि तत्समय से ही आराजी जैर का स्वरूप गैर मुमकिन गोचर रहा है तथा उक्त आशय की पुष्टि स्वमेव अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी से भी होना पाया जाता है। ऐसी भूमियों के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में स्पष्ट रूप से प्रावधान निहित किये गये है। जिसमें अभिलिखित किया गया है किः–

> ‘‘Land in which Khatedari rights shall not accrue - Notwithstanding anything in this Act or (in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State) Khatedari rights shall not accrue in

(i) Pasture Land.''

इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 195 की धारा 16 के अन्तर्गत उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते। लिहाजा ऐसी भूमियों के खातेदारी अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के तहत प्रदान नहीं किये जाने की मंशा को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार वादप्रक्रिया अनुरूप तनकीयात् कायम करते हुए एवं प्रत्येक तनकी का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलार्थीगण को आराजी जैर का खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किये जाने की अभिशंषा के आधार पर अपीलार्थीगण/वादीगण का वादपत्र विधि सम्मत् तरीके से खारिज किया गया है व जिसकी पुष्टि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा की गई है। इस प्रकार दोनों समवर्ति न्यायालयों द्वारा पारित आदेश पूर्णतया न्यायसंगत व तर्कसंगत आदेश है। जिसमें प्रस्तुत द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाये जाने से अपीलार्थीगण की हस्तगत् द्वितीय अपील अस्वीकार कर खारिज योग्य पाई जाती है।

परिणामतः- अपीलार्थीगण की हस्तगत् द्वितीय अपील खारिज की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 31-05-2006 व सहायक कलेक्टर, सांचौर का निर्णय व डिक्री दिनांक 30-10-2005 यथावत बहाल रखे जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार दड़िया)
सदस्य

(अजीत सिंह राजावत)
सदस्य